# कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) सूरजपुर (छ0ग0)

क्रमांक/1243/भू–अर्जन/2021 सूरजपुर, दिनांक 24/02/2021

प्रति

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
   प्रतापपुर।
2. महाप्रबंधक
   एस0ई0सी0एल0 भटगांव क्षेत्र
   जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

विषय :– कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत् कुल 16.410 हे0 (लगभग) या 40.55 एकड़ (लगभग) के संबंध में जारी अधिसूचना बावत्।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली, अधिसूचना, दिनांक 12 फरवरी 2021.

---0---

विषयान्तर्गत् सन्दर्भित अधिसूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली, से प्राप्त अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित् की जा रही है। कुल 16.410 हे0 (लगभग) या 40.55 एकड़ (लगभग) का भू–अर्जन के संबंध में जारी अधिसूचना की छायाप्रति को अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/ तहसीलदार प्रतापपुर के कार्यालय एवं संबंधित नगर/ग्राम/ग्राम–पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाना है।

अतएव पत्र के साथ संलग्न अधिसूचना अपने कार्यालय के सूचना पटल पर तत्काल प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–कुल–04.पृष्ठ।

अपर कलेक्टर
सूरजपुर(छ.ग.)

पृ0क्रमांक/1243A/भू–अर्जन/2021 सूरजपुर, दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि :–

(1) प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, (एन.आई.सी.), सूरजपुर, (छ.ग.) को अधिसूचना की छायाप्रति इस जिले के वेब साइट पर प्रविष्ट (Load) करना सुनिश्चित करें।

(2) जिला नाजीर, नाजरात शाखा, जिला कार्यालय, सूरजपुर (छ0ग0) को अधिसूचना की छायाप्रति कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकाशन/चस्पा करने हेतु प्रेषित्।

संलग्नः–कुल–04.पृष्ठ।

अपर कलेक्टर
सूरजपुर(छ.ग.)

22/2/21 886

[ भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप–खंड (ii) में प्रकाशनार्थ ]

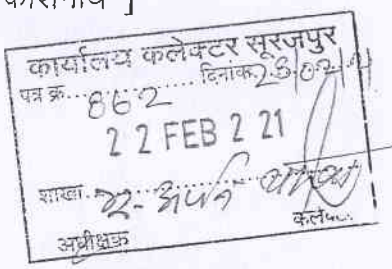


भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 12 फरवरी, 2021

का.आ. .–कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख, 5 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1042, तारीख 2 दिसम्बर, 2020 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, डाकघर संख्या 60, जिला– बिलासपुर–495006 (छत्तीसगढ़) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तो का जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये तैयार है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त 16.410 हेक्टर (लगभग) या 40.55 एकड़ (लगभग) भूमि और उस पर के सभी अधिकार, तारीख 5 दिसम्बर, 2020 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात :–

(1) सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधि के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों आदि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी;

(2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों के संबंधों में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमियों में

23/2/21

या उस पर के अधिकारों के लिये या उनके संबंध में अपील आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी व्यय भी सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे;

(3) सरकारी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार और उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;

(4) सरकारी कम्पनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी।

(5) सरकारी कम्पनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिये दिए जाएं या अधिरोपित की जाए, पालन करेगी।

(फा.सं. 43015/06/2019–एलए एण्ड आईआर)

रामशिरोमणि सरोज

(राम शिरोमणि सरोज)
उप सचिव, भारत सरकार

[ TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

Notification

New Delhi, the 12th February,2021

S.O. .-Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1042, dated the 2nd December, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th December, 2020 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the lands and the all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, P. B. No. 60, District-Bilaspur-495006, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands measuring 16.410 hectares (approximately) or 40.55 acres (approximately) and all rights in or over the said lands so vested shall with effect from 5th December, 2020 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) the Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc. and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant law;

(2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government company;

(3) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;

(4) the Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested to any other person without the prior approval of the Central Government; and

(5) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[ F. No. 43015/ 06/ 2019 – LA&IR ]

R S Saroj

(Ram Shiromani Saroj )
Deputy Secretary to the Government of India

To
The Manager (Technical),
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi.